छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 6 सितम्बर, 2011
(भाद्रपद-15, शक संवत् 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03, 05 से 10 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्न संख्या 04 की प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्रीमती सुमीत्रा मारकोले अनुपस्थित रहीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 28 तारांकित एवं 44 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री लाखन सिंह यादव, मध्यप्रदेश विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 18, भीतरवार, जिला ग्वालियर से निर्वाचित सदस्य अध्यक्षीय दीर्घा में विराजमान हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ लोक अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का अष्ठम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010,

(2) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की धारा (11) की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-3-1/2011/1/एक, दिनांक 3 मई, 2011,

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक/280/एफ-2(3)/48/सं.का./09, दिनांक 26 मार्च, 2011 एवं

(4) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-7-02/2011/32, दिनांक 7 जून, 2011,

पटल पर रखे गये ।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को वितरित स्कूल बैग संबंधी स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रथम उपलब्ध अवसर पर नहीं दी गई है। साथ ही इस विषय पर दिनांक 29 एवं 30 अगस्त, 2011 को ध्यानाकर्षण सूचना कार्यसूची में शामिल थी, प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति के कारण ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं हो सकी । उन्होंने इस स्थगन को अग्राह्य कर दिया है।

श्री लखमा कवासी, सदस्य ने कोंटा विधानसभा क्षेत्र में फर्जी मुठभेड़ में एक आदिवासी के मारे जाने संबंधी स्थगन को ग्राह्य किये जाने का अनुरोध किया ।

4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2011 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

	विधि विषयक कार्य	निर्धारित समय
(1)	छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2011	45 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय विधेयक, 2011	2 घंटे 30 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी विधेयक, 2011	3 घंटे

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री नंदकुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य ने प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित पी.एम.टी. परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की ओर तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हेमचंद यादव, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा आवास निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने नल-जल योजना प्रारंभ किये जाने,

(2) महंत श्री रामसुंदर दास, सदस्य ने जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जमड़ी, कोटेतरा, भातमाहूल एवं भड़ोरा में धान खरीदी केन्द्र शीघ्र खोले जाने,

(3) श्री गुरु रुद्र कुमार, सदस्य ने आरंग में सब्जी मंडी का निर्माण करने,

(4) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य ने मनरेगा की मजदूरी दी जाने में विलंब होने, एवं

(5) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने बिलासपुर जिला अंतर्गत तिफरा में गलत तरीके से दुकानें आवंटन किये जाने संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

(1.30 से 3.02 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

7. मंत्री का वक्तव्य

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त कृषि कर्मण पुरस्कार के संबंध में

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त कृषि कर्मण पुरस्कार के संबंध में वक्तव्य दिया। श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011)

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011) पुर:स्थापित किया।

9. वर्ष 2011-2012 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 79, 80, 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सोलह सौ तिरपन करोड़, तीस लाख, सत्रह हजार, दो सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
श्री नंदकुमार पटेल, डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, रामजी भारती, (डॉ.) शक्राजीत नायक, खेदूराम साहू, बोधराम कंवर,

(माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में दर्ज कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री विरेन्द्र कुमार साहू, मोहम्मद अकबर, भीमा मंडावी, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री सौरभ सिंह, लखमा कवासी, श्री डमरुधर पुजारी (अनुपस्थित), श्रीमती लक्ष्मी बघेल, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री दूजराम बौद्ध,

चर्चा के दौरान श्री दूजराम बौद्ध ने उल्लेख किया कि विगत 2 माह से उनके क्षेत्र में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी एवं खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण वे अनशन पर हैं।

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन की ओर से माननीय सदस्य से अनुरोध किया कि वे अपनी भूख हड़ताल समाप्त करें। सदन उनकी चिंता से माननीय मुख्यमंत्री सहित सरकार के मंत्रियों को अवगत करायेगा।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी-(अनुपस्थित) डॉ.शिवकुमार डहरिया-(अनुपस्थित), श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्री कुलदीप सिंह जुनेजा-(अनुपस्थित), श्री टी.एस.सिंहदेव, श्री शिवराज सिंह उसारे-(अनुपस्थित), श्री भजन सिंह निरंकारी,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्री लेखराम साहू एवं श्री रविन्द्र चौबे (नेता प्रतिपक्ष)

10. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन में घोषणा की कि - अनुपूरक अनुमान पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री दूजराम बौद्ध ने सभा में यह उल्लेख किया कि वे विगत 2 माह से उनके क्षेत्र में अवर्षा एवं सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी, खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण उपवास पर हैं। उन्होंने उनसे उनके उपवास के बारे में कक्ष में बुलाकर चर्चा की कि प्राकृतिक प्रकोप, अवर्षा, खंड वर्षा की स्थिति प्रदेश में है और शासन इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रयास कर

रहा है। सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो इस हेतु उन्होंने विभागीय मंत्री श्री हेमचंद यादव जी को और खाद के लिए श्री चंद्रशेखर साहू जी और वहां के कलेक्टर से भी दूरभाष पर चर्चा की और जो कमी है उसे कैसे उपलब्ध करायेंगे उस पर आवश्यक निर्देश माननीय मंत्रियों को दिये हैं।

माननीय सदस्य ने भी संतुष्ट होकर उपवास समाप्त करने के अनुरोध को स्वीकार किया। तद्नुसार उन्होंने उन्हें फलों का रस पिलाकर आज उनका उपवास समाप्त करवाया है।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों से भी अनुरोध किया कि वे जनहित के ऐसे जो विषय हैं उस पर सदन का ध्यान सूचनाओं के माध्यम से आकर्षित करें।

11. वर्ष 2011-2012 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2011 (क्रमांक-18 सन् 2011)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2011 (क्रमांक-18 सन् 2011) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2011 (क्रमांक-18 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

13. अध्यक्षीय उद्गार

माननीय अध्यक्ष ने उद्गार व्यक्त किये कि - अनुपूरक अनुमान पर कुल 3 घंटे का समय निर्धारित था। कुल 5 घंटा 23 मिनट चर्चा हुई। जो अनुपूरक अनुमान पर अब तक हुई लम्बी चर्चा रही। जिसमें 21 माननीय सदस्यों सहित माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी एवं माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया। आज के पूर्व जुलाई, 2007 के प्रथम अनुपूरक अनुमान पर 5 घंटे 01 मिनट चर्चा हुई थी। उन्होंने इस अवसर पर समस्त सदस्यों को बधाई दी तथा सदन के वित्तीय कार्य में उनकी रूचि के लिये उनकी प्रशंसा की।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने भी उद्गार व्यक्त किए।

रात्रि 8.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 07 सितम्बर, 2011 (भाद्रपद 16, शक संवत् 1933) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा